प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.09.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा मुठभेड़ में चैन स्नैचर गिरफ्तार

दिनांक 28/09/2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत ईएसआई अस्पताल के सामने शालीमार गार्डन की तरफ से आने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी तभी मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आराधना की ओर से आने वाले रास्ते की तरफ से आते दिखाई दिये जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से भगाने लगे शक होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख भाग रहे बदमाशों के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी से भगाने के कारण मोटरसाइकिल प्रेम गली में कूड़ा होने के कारण फिसल कर गिर गई और पुलिस पार्टी को पीछे आते देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे बदमाशों में से एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया घायल बदमाश को वास्ते उपचार अस्पताल भेजा जा रहा है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल पुत्र विजय निवासी ताहीरपुर सदर मकान नंबर 602 दिल्ली उम्र-32 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त पर दिल्ली व गाजियाबाद में हत्या लूट व चोरी के लगभग डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत है

बरामदगी का विवरण

1- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस

2. 01 मोटरसाइकिल (चोरी की)

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सैल टैक्स अधिकारी बताकर अवैध वसूली करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.09.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि अभियुक्त 1. अमन पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. कुलदीप पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा चिरौडी बंथला मार्ग पर अपने आप को सैल टैक्स अधिकारी बताते हुये वादी की गाडी के आगे अपनी गाडी को लगाकर तथा वादी के ड्राइवर आदि को नीचे उतार कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी और बताया कि हम सैल टैक्स आफिसर है अपनी गाडी के कागजात दिखाओं, सारे कागजात लेकर धमकी देते हुये बोले कि तुम्हारे कागज अवैध है तुम्हे इसके बदले में 30,000 रुपये देने पडेगे नहीं तो तुम्हारे विरूद्ध बहुत बडी

कार्यवाही करेगें जिससे तुम्हारा जीवन खराब हो जायेगा। जिसके संबंध में तत्काल थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों 1. अमन पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. कुलदीप पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>
अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग मौका देखकर अपने आप को सैल टैक्स का अधिकारी बताकर आने-जाने वाले वाहनों से अवैध रुप से पैसे की वसूली कर लेते है। आज भी हम लोग बंथला चिरोडी मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों से वसूली करने निकले थे कि पुलिस द्वारा हम दोनों को पकड लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1.अमन पुत्र सुभाष निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

2. कुलदीप पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u> थाना लोनी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 06.09.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी कि मेरे बेटी जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, वह अपने छोटे भाई को ट्यूशन छोडने गई थी, वह वापस नहीं आयी है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अंकुर विहार द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आवेदक की पुत्री की तलाश हेतु टीमों का गठन कर तलाश करने के प्रयास शुरु किये गये। दिनांक 23.09.2024 को आवेदक की पुत्री स्वयं अपने घर वापस आ गयी तथा बताया कि मुझे कुछ लोग अपने साथ अगवा करके ले गये थे। आज दिनांक 28.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों 1. मिन्टू पुत्र सोमपाल निवासी काका विहार गली न0 3 सभापुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 2. इरफान पुत्र मुन्ना निवासी सद्दाम का मकान इनाम विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 3. मौ0 कैफ पुत्र मौ0 अजरुद्दीन निवासी गली न0 6, अकरम बिरयानी वाले के पास शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर दिल्ली 4. रेनू पुत्री विनोद कुमार पत्नी रामकेश निवासी ज्योति विहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद को विजय विहार अण्डर पास थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि पीडिता जिस स्कूल में पढती है, उसी स्कूल में अभियुक्ता रेनू व अभियुक्त मिन्टू सफाई का काम करते है। दिनांक 06.09.24 को अभियुक्ता रेनू व अभियुक्त मिन्टू पीडिता को शाम के समय बहला-

फुसलाकर अपने साथ ले गये और अभियुक्ता रेनू ने पीडिता को 14-15 दिनों तक अपने साथ अपने घर पर ही रखा। उसके बाद इनके एक अन्य साथी इरफान द्वारा पीडिता को कश्मीरी गेट दिल्ली पर अपने एक अन्य साथी मौ0 कैफ के सुपुर्द कर दिया। अभियुक्त मौ0 कैफ द्वारा पीडिता को फरीदाबाद में एक अन्य स्थान पर छोड दिया। दिनांक 23.09.2024 को पीडिता फरीदाबाद में छोडे गये स्थान से भाग कर वापस अपने घर आ गयी। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग पीडिता को कुछ दिन अपने पास में रखकर इसके घरवालों से पैसो की मांग करने वाले थे, परन्तु उससे पहले ही ये वहाँ से भाग कर अपने घर चली गयी थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता –</u>

1. मिन्टू पुत्र सोमपाल निवासी काका विहार गली न0 3 सभापुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष
2. इरफान पुत्र मुन्ना निवासी सद्दाम का मकान इनाम विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष
3. मौ0 कैफ पुत्र मौ0 अजरुद्दीन निवासी गली न0 6, अकरम बिरयानी वाले के पास शास्त्री पार्क थाना उस्मानपुर दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष
4. रेनू पुत्री विनोद कुमार पत्नी रामकेश निवासी ज्योति विहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग</u>

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैं।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे निर्माण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अतिशबाजी पटाखे बनाने की 06 मशीनें, बनाने के उपकरण, कच्चा माल व मिश्रित आतिशबाजी अवैध पटाखे बरामद।

दिनांक 27.09.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र चिरौडी से 02 अभियुक्त 1.योगेन्द्र उर्फ योगी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम बादशाहपुर सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद 2.अमजद पुत्र इकरामुद्दीन निवासी ग्राम असालतपुर फरुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से पटाखा भरने की लोहा पंचिग 06 मशीन, प्लास्टिक 15कट्टे जिसमें 4500 खाली नलकी कागज व 0 पेटी 3जिनमे 600 इलेक्ट्रोनिक अनारव पीस सुतली बम 1600व दो बडे सुतली रस्सी बंडल व अधबने सुतली बम व करीब ग्राम 150 पलीता बातीनिर्मित/अद्धनिर्मित अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों ने आगामी त्यौहारों के लिये पटाखों का निर्माण कर भण्डारण कर एकत्रित कर रखा था जिन्हें हम दोनों महंगे दामों मे बेच कर अधिक लाभ कमा सके।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1.योगेन्द्र उर्फ योगी पुत्र सीताराम निवासी ग्राम बादशाहपुर सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष

2.अमजद पुत्र इकरामुद्दीन निवासी ग्राम असालतपुर फरुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद, उम्र करीब वर्ष 44

<u>आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग ––––</u>

थाना लोनी पर अभियुक्तों के विरूद्ध अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे निर्माण बरामदगी के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

पटाखा भरने की लोहा पंचिग 06 मशीन, 4500 खाली नलकी कागज, 0 पेटी 3जिनमेंइलेक्ट्रोनिक अनार 600 , 1600 पीस सुतली बमव दो बडे सुतली रस्सी बंडल व अधबने सुतली बम व करीब ग्राम पलीता बाती 150निर्मित/अद्धनिर्मित अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे बरामद।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना लोनी पुलिस टीम गाजियाबाद